न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—07 / 2023 (2023 / 63) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कैलाश पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गणपत पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पारसमल पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मधु पुत्री सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक—20.12.2023

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोखुन्दा पटवार हल्का मोखुन्दा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 227 में अंकित आराजी संख्या 161 रकबा 0.23 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम मोखुन्दा में स्थित बिलानाम गै.मु. रास्ता से होकर ग्राम मोखुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 2304 / 105 रकबा 0.15 है0 भूमि में स्थित 30 फीट चौड़ा रास्ता ही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतों में फसल काश्त कर लाभ ले रहे है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल ट्रेक्टर आदि लेकर जाते है तथा खाद आदि डालते आ रहे है। प्रार्थीगण के उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के उक्त रास्ता अत्यनत आवश्यकता का रास्ता है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन के रास्ते को आये दिन अन्य लोग बन्द कर देते है तथा प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन को रोक देते है जिससे विपक्षी की भूमि को 30 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकार्ड में स्थाई रूप से दर्ज किया जाना न्यायोचित हो गया है। प्रार्थीगण डीएलसी दर से राषि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी की नवीन आराजी संख्या 2304 / 165 रकबा 0.15 है0 मे से 30 फीट चौड़ाई में रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु तहसीलदार रायपुर को आदेशित फरमाया जावे एवं नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाले रकबा की डीएलसी दर राशि विपक्षी को दिलाई जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि आराजी संख्या 2304 / 165 रकबा 0.15 है0 बिलानाम में मौके पर रास्ता बना हआ है किन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। आराजी संख्या 2304 / 165 रकबा 0.15 है0 पर बना हुआ रास्ता खुला हुआ है तथा आवागमन चालु है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता आराजी संख्या 170 बिलानाम गै.मु. से

जुड़ा हुआ है। वर्तमान में आराजी संख्या 161 रकबा 0.23 है0 में जाने हेतु उक्त रास्ते से ही आना जाना हो रहा है। आराजी संख्या 2304/165 रकबा 0.15 है0 मे से 20 फीट चौड़ा रास्ता 38 मीटर लम्बा अर्थात 228 वर्गमीटर या 0.0228 है0 भूमि रास्ते का क्षैत्रफल बनता है जिसकी डीएलसी दर 482714/– प्रति हैक्टयर होने से राशि 11005 रूपये बनती है जिसे दुगुना करने पर 22010 रूपये बनती है। वर्तमान में चाहा गया रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 124 गै.मु. बिलानाम रास्ता से होकर आराजी संख्या 155 खातेदारी भूमि से अपनी आराजी में आया जा सकता है किन्तु उक्त रास्ता अधिक लम्बा व खातेदारी भूमि बीच मे आती है। सुगम व निकट पहुँच मार्ग आराजी संख्या 170 गै.मु. रास्ता से आराजी संख्या 2304/165 से होकर स्वयं की आराजी में पहुँच जा सकता है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी इसी रास्ते रास्ते से आवागमन करना बताया गया है एवं अन्य वैकल्पिक रास्ते को को अधिक लम्बा बताया या गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 161 रकबा 0.23 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2304/165 रकबा 0.15 है0 मे से रकबा 0.0228 है0 भूमि (यानि 228 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 482714/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 11005/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 22010/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—07 / 2023 (2023 / 63) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—कैलाश पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—गणपत पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—पारसमल पिता सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मधु पुत्री सोहनलाल महाजन निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोखुन्दा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 161 रकबा 0.23 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2304 / 165 रकबा 0.15 है0 मे से रकबा 0.0228 है0 भूमि (यानि 228 वर्गमीटर भूमि) जिसकी डीएलसी दर 482714 / —रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 11005 / —रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 22010 / —रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)